प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांकः– /शा0स0ख0–23/ई–टेण्डर/2020–21/ दिनांकः 22-12-2020

विषयः– अल्पकालीन ई–निविदा सूचना सं0 06/अ0अ0/2020–21

महोदय,

शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ के ई–टेन्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–06/अ0अ0/2020–21 की छः प्रतियां सी0डी0 सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस क्षेत्र के किन्ही दो बहुप्रचारित समाचार पत्रों में दिनांक 31.12.2020 के पूर्व एक दिवस के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित करवाने की कृपा करें।
संलग्नकः–छः अदद प्रेस विज्ञप्ति/टेण्डर नोटिस सी0डी0 सहित।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

पत्रांकः– 3014 /शा0स0ख0–23/टेण्डर/तदिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1–कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
2–मुख्य अभियन्ता (शा0स0) सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ
3–अधीक्षण अभियन्ता चतुर्दशम् मण्डल सिंचाई कार्य, आजमगढ़।
4–जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5–पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
6–जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़।
7–एन0आई0सी0 आजमगढ़।
8–अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–32, आजमगढ़, 16, सुल्तानपुर/शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर/बाढ़ खण्ड आजमगढ़।
9–सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़।
10–नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

अल्पकालिक ई–निविदा सूचना संख्या–06/E.E./2020-21

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ई–निविदा (टेक्निकल तथा फाइनेंशियल बिड) वेब पोर्टल https://etender.up.nic.in के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से तालिका संख्या–01 के अनुसार आमंत्रित की जाती है एवं तालिका संख्या–02 में वर्णित कार्यक्रमानुसार विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष आनलाइन खोली जायेगी।

तालिका संख्या–01

लाट सं0	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	धरोहर धनराशि (रू0 लाख)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0	पंजीकृत ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	ठेकमा राजवाहा के कि0मी0 72.000 से कि0मी0 73.300 तक सर्विस रोड के गड्ढामुक्त/नवीनीकरण का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	1.20	2 माह	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
2	भरौली राजवाहा के कि0मी0 5.000 से कि0मी0 5.600 तक सर्विस रोड के गड्ढामुक्त/नवीनीकरण का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.60	2 माह	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
3	भरौली राजवाहा के कि0मी0 6.850 से कि0मी0 7.300 तक सर्विस रोड के गड्ढामुक्त/नवीनीकरण का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.50	2 माह	150+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
4	कुसमुलिया माइनर के कि0मी0 0.500 से कि0मी0 1.400 तक सर्विस रोड के गड्ढामुक्त/नवीनीकरण का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.80	2 माह	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी
5	तरवा राजवाहा के कि0मी0 12.000 से कि0मी0 13.600 तक सर्विस रोड के गड्ढामुक्त/नवीनीकरण का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	1.40	2 माह	225+ 18% GST चार्ज	C श्रेणी

तालिका संख्या–02

Sl. No.	Particulars	Date	Time
1-	Notification	23-12-2020	
2-	Upload on website	31-12-2020	10:00
3-	Bid Submission Start	31-12-2020	10:00
4-	Bid Submission End	07-01-2021	12:00
5-	Technical Bid Opening	07-01-2021	12:00
6-	Financial Bid Opening	Date and Place to be decided after technical bid evaluation and will be communicated on-line to successful bidders in technical bid	

नियम एवं शर्तें–

1. इस ई–निविदा की सूचना, विवरण व शर्ते उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** सूचना विभाग की वेबसाईट **http://information.up.nic.in** तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट **http://idup.nic.in** पर भी उपलब्ध है।
2. इस ई–निविदा की सूचना से सम्बंधित शेष सूचनायें, शर्ते एवं शुद्धीकरण सम्बंधी सूचनायें बेवसाईट **http://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध रहेंगी। निविदादाता कृपया उक्त वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करनें का कष्ट करें।
3. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से ई–टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
4. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
5. निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। कार्यस्थल की जानकारी नहीं होने के कारण कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार **कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है**, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

क्रमशः पेज–2 पर..........

7. निविदादाता को **निविदा मूल्य** स्टेशनरी चार्ज एवं टैक्स सहित (जी0एस0टी0) की धनराशि तालिका–1 के कालम सं0 6 के अनुसार **आनलाइन के माध्यम** से जमा करना होगा, जिसके रसीद की स्कैण्ड कापी बिड के साथ ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना होगा अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. निविदादाता द्वारा **धरोहर धनराशि** तालिका–1 के कालम सं0 4 के अनुसार **आनलाइन के माध्यम** से जमा करना होगा, जिसके रसीद की स्कैण्ड कापी बिड के साथ ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना होगा अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ केवल सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ–पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–23 आजमगढ़ से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेगें।
10. इच्छुक निविदादाताओं को चाहिए कि वह वेबसाइट पर अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों को ठीक प्रकार से वर्गीकृत करके समस्त अभिलेखों को इन्डैक्स मे दिये गये क्रमानुसार ही व्यवस्थित एवं पेजिंग करके अपलोड करें।
11. अनुभव –

निविदादाता को अनुभव के रूप में सी0पी0डब्लू0डी0 मैन्युअल के अनुसार विगत पाँच वर्षो में सफलता पूर्वक संपादित किये गये कार्यो के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जों राजकीय विभाग के अधिशासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रमाणित हों –

(1) तीन समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 40 प्रतिशत से कम न हो,

अथवा

(2) दो समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 60 प्रतिशत से कम न हो,

अथवा

(3) एक समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 80 प्रतिशत से कम न हो,

12. टर्न ओवर – पिछले तीन वित्तीय वर्षो मे से किसी भी वित्तीय वर्ष की अधिकृत चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट का वार्षिक टर्न ओवर 75% से कम न हो।
13. यन्त्र संयन्त्र – निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न फार्म–ई के अनुसार निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि हॉट मिक्स प्लान्ट संयत्र एवं अन्य उपकरण स्वयं के पास उपलब्ध है। हॉट मिक्स प्लान्ट संयत्र एवं उपकरणों के फर्म के नाम ओनरशीप हो या उस कार्य अवधि के लिए प्लान्ट के ओनर के मध्य हुए एग्रीमेन्ट की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial/Price Bid) के साथ रु0 100/– (नान जुडिशियल) स्टैम्प पेपर पर रु0 1/– का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0, आयकर, लेबरसेस, रायल्टी व अन्य प्रचलित टैक्स नियमानुसार देय होगा। अनुबंध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करना होगा।
15. ***निविदादाता द्वारा निविदत्त दरों में आयकर, लेबर सेस, रायल्टी, टोल टैक्स तथा अन्य प्रचलित टैक्स नियमानुसार समाहित होगें जबकि निविदत्त दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं होगा। जी0एस0टी0 का भुगतान विभाग द्वारा बीजक की धनराशि के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।***
16. इस निविदा को बिना कारण बताये, पूर्ण अथवा आंशिक रुप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो भी उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
18. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य निविदादाता छुपाकर अनुबन्ध करता है तो अनुबन्ध को निरस्त करते हुए प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी एवं कराए गये कार्यो का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेंगी।
20. राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्तागण निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगें।
21. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी एवं निविदा दाता को भविष्य में निविदा प्रक्रिया मे भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
22. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

क्रमशः पेज–3 पर..........

23. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि तथा समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जायेगी।
24. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता IDT-1, IDT-2, IDT-3, निविदा मूल्य, निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र ठीक–ठीक उपलब्ध कराये गये है या नही। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
25. तकनीकी बिड के Evaluvation में सफल निविदा दाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
26. *शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के निहित प्राविधानों के क्रम में कार्य की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक दर कम डालने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक **Below** दर डालने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर से अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी। वांछित सिक्यूरिटी डिपाजिट एव परफारमेन्स गारण्टी की धनराशि अनुबंध के समय जमा करना अनिवार्य होगा।*
27. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से साभिप्राय अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं तो शासनादेश सं0: 16/326/17–27–सिं–3–08 टी0/84 दिनांक 21.04.2017 के पैरा सं0–05 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आशंका की पुष्टि होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
28. शासनादेश संख्या–383/36–2–2010 श्रम अनुभाग–2, दिनांक 26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली–2009 के अन्तर्गत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
29. प्रत्येक निविदादाता को निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को बिड के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है–
   क. वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ–पत्र (IDT-3) की प्रति।
   ख. पिछले तीन साल का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/एसेसमेन्ट आर्डर अथवा एसेसमेन्ट आर्डर न होने की दशा में आई0टी0आर0 एक्नालेजमेन्ट।
   ग. श्रम विभाग द्वारा निर्गत वैध श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   घ. समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
   ङ. पिछले तीन वर्ष की बैलेन्स शीट।
   च. वर्तमान में चल रहे कार्यो की सूची।
   छ. संस्था के प्रकरण में पार्टनरशीप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
   ज. निविदादाता के पास निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रपत्र पर टी0एण्डपी0 एवं अन्य विवरण।
   झ. टिन, पैन तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति।
   ट. बिड कैपेसिटी।
   ठ. निविदा मूल्य, निर्धारित प्रतिभूति धनराशि तथा दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी का अनुबन्ध ।
30. अन्य शर्तें एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र में संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़